No. 23/17/2013-R&R
Government of India
Ministry of Power
***

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, 16th April, 2018

Subject: Guidelines for Procurement of power under Pilot Scheme for medium term through PFC Consulting Limited as Nodal Agency and PTC India Limited as Aggregator – Resolution dated 10th April, 2018.

The Resolution on Guidelines for procurement of power under Pilot Scheme for medium term through PFC Consulting Limited as Nodal Agency and PTC India Limited as Aggregator has been notified in the Gazette of India, Extraordinary on 10.4.2018 (www.egazette.nic.in). It is requested that the said Resolution may please be posted on the website of Ministry of Power under 'Current Notices' with above subject heading.

Sandeep 16/4/18
(Sandeep Naik)
Director

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2018/चैत्र 20, 1940
No. 128] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2018/CHAITRA 20, 1940

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और समूहक के रूप में पीटीसी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से मध्यावधि के लिए पायलट योजना के अंतर्गत विद्युत की खरीद के लिए दिशा-निर्देश।

सं.23/17/2013-आरएंडआर(खंड-IV)-जबकि केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 ("**अधिनियम**") के प्रावधानों के अनुसार विद्युत के उत्पादन की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए एक सक्षम नीति और विनियामक वातावरण सृजित करने में लगी हुई हैं।

जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत विनियामक आयोगों और वितरण लाइसेंसियों के लिए प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत की खरीद में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन देना आवश्यक होता है।

जबकि केंद्र सरकार ने उत्पादन कंपनियों, जिनके पास कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है और जो विद्युत क्रय करार किए बिना तथा पहले से ही चालू है, से (मध्यावधि के अंतर्गत शामिल) 3 (तीन) वर्षों के लिए 2,500 मेगावाट विद्युत की खरीद को सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित योजना में नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत की खरीद की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) और वितरण लाइसेंसी (लाइसेंसियों) के बीच विद्युत की खरीद और आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य से समूहक के रूप में कार्य करेगा। समूहक सफल बोलीदाताओं के साथ विद्युत की खरीद के लिए करार एवं साथ ही वितरण लाइसेंसी (लाइसेंसियों) के साथ बैक-टू-बैक विद्युत आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर करेगा। यह योजना बाद में "**पायलट योजना**" के रूप में संदर्भित की जाती है।

जबकि केंद्र सरकार ने दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अपने पत्र सं. 23/17/2013-आरएंडआर(खंड-IV) में न्यूनतम प्रशुल्क के आधार पर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म (दीप ई-बिल्डिंग पोर्टल) के माध्यम से खुली प्रक्रिया तथा पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से विद्युत उत्पादकों से विद्युत की खरीद के लिए नोडल एजेंसी द्वारा अपनाए जाने के लिए बोली दस्तावेज जारी किए हैं जिनमें (I) योग्यता के लिए मॉडल पायलट अनुरोध (द "**एमपीआरएफक्यू**") और प्रस्ताव के लिए मॉडल पायलट प्रस्ताव (द "**एमपीआरएफपी**") दोनों को शामिल करते हुए मानक बोली दस्तावेज के रूप में एकल दस्तावेज; (ii) विद्युत की खरीद के लिए मॉडल पायलट करार (द "**एमपीएपीपी**") और (iii) मॉडल पायलट विद्युत आपूर्ति करार (द "**एमपीपीएसए**") (सामूहिक रूप से "**मॉडल पायलट बोली दस्तावेज**") शामिल हैं। ई-बिल्डिंग